प्राक्कथन

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) भारत की पर्यावरणीय तथा वानिकी नीतियों तथा कार्यक्रमों की योजना,उन्नति, समन्वय तथा निरीक्षण करने के लिए नोडल एजेंसी है। पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की स्वीकृति में एमओईएफएण्डसीसी ने विभिन्न नियामक तथा प्रोत्साहक उपाय किए हैं जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए अनापत्ति की प्रक्रियाओं की स्थापना शामिल करते हैं। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण व्यवस्थित रूप से प्रस्तावित परियोजनाओं के लाभकारी तथा प्रतिकूल परिणामों दोनों की जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि ये प्रभाव परियोजना डिजाइन के दौरान ध्यान में रखे जाते हैं।

'पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी' पर निष्पादन लेखापरीक्षा जांच करती है कि क्या ईसी की मंजूरी की प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष 2011 से जुलाई 2015 तक के दौरान दिये गए पर्यावरण अनापत्तियों और कैलेंडर वर्ष 2008 से 2012 के दौरान दिए गए पर्यावरण अनापत्तियों की संबन्धित एजेंसियों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की निगरानी के संबंध में सामयिक और पारदर्शी रीति में की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला की पर्यावरण प्रभाव निर्धारण विभिन्न प्रक्रियात्मक कमियों से पीड़ित है। जिसके कारण पर्यावरण अनापत्ति देने में विलंब होते हैं। प्रत्येक परियोजना पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के लिए अकेले रूप में मानी गई थी परंतु संचयी प्रभाव अध्ययन/निर्धारण की कमी पाई गई थी। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की कमी हुई थी। हमने पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन में राज्य प्रदूषण बोर्डों/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा एमओईएफ़एण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी में कमजोरियां भी देखीं। नाजुक प्रदूषित क्षेत्रों में निगरानी की कमी हुई थी। पर्यावरण अनापत्ति देने और इसकी निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया को देखने के लिए राष्ट्रीय नियामक एमओईएफएण्डसीसी द्वारा विचाराधीन है।

हम आशा करते हैं कि संसद के समक्ष रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार यह प्रतिवेदन पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी की प्रक्रिया का सुधार करने में योजनाकारों तथा प्रशासकों की सहायता करेगा।